रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1972/चैत्र 12, 1894

**No. 183] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1972/CHAITRA 12, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### ORDERS

*New Delhi, the 1st April 1972*

**S.O. 251(E).**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of International Trade No. S.O. 3548, dated the 17th December, 1963, read with the Orders of the Government of India, in the late Ministry of Commerce No. S.O. 4205, dated the 22nd November, 1968, and in the late Ministry of Foreign Trade and Supply Nos. S.O. 741, dated the 20th February, 1969, and S.O. 4433, dated the 30th October, 1969, and in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 1098, dated the 17th March, 1970, S.O. 1267, dated the 22nd March, 1971, and S.O. 248(E), dated the 30th March, 1972, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Bengal Nagpur Cotton Mills Limited, Rajnandgaon, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period up to and including the 30th April, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years up to and including the 30th April, 1974.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order first mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and including the 30th April, 1974.

[No. F. 9(1)/69-TEX(G)]

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली 1 अप्रैल, 1972

**का० आ०** 251(अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 4205 दिनांक 22 नवम्बर, 1968 और भूतपूर्व विदेश व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 741 दिनांक 20 फरवरी, 1969, तथा का० आ० 4433, दिनांक 30 अक्तूबर, 1969 तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के सं० का० आ० 1098 दिनांक 17 मार्च, 1970, का० आ० 1267 दिनांक 22 मार्च, 1971 तथा का० आ० 248 (ई) दिनांक 30 मार्च, 1972 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3548 दिनांक 17 दिसम्बर, 1963 द्वारा दी बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध अन्तिम आदेश मे निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 30 अप्रैल, 1972 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण 30 अप्रैल, 1974 तक दो वर्ष की आगामी अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहना चाहिए।

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित अन्तिम आदेश का प्रभाव 30 अप्रैल, 1974 तक की आगामी अवधि के लिए और बना रहेगा।

[सं० फा० 9(1)69—टैक्स(जी)]

**S.O. 252(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Order of the Government of India in the late Ministry of International Trade, No. S.O. 3548, dated the 17th December, 1963 (as subsequently modified), the Central Government hereby authorises, with immediate effect, the Madhya Pradesh State Textile Corporation Limited, to take over the management of the Bengal Nagpur Cotton Mills Limited, Rajnandgaon, *vice* Messrs. Raja Ram and Brothers, Mandsaur.

[No. F. 9(1)/69-TEX(G)]

K. KISHORE, Jy. Secy.

**का० आ०** 252(अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3548, दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 (तदनंतर यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैसर्स राजा राम एण्ड ब्रदर्स, मंडसौर, के स्थान पर, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को बंगाल नागपुर काटन मिल्स लि०, राजनन्दगांव का प्रबंध अपने अधिकार में लेने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं० फा० 9(1) 69-/टैक्स (जी)]

के० किशोर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972